



फोन नं. 0145-2787056
0145-2787058
फैक्स नं. 0145-2787244
कायड रोड पुष्कर बाईपास अजमेर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

अनुमानित लागत:- 200000/-

अमानत राशि 2% :- 4000/-

प्रतिभूति सुरक्षा राशि 5% :- 10000/-

निविदा प्रपत्र का शुल्क:- 100/-

निविदा फार्म एवं धरोहर राशि वांछित दस्तावेज जमा कराने की

अन्तिम तिथि:- 18.12.2024 अपरान्ह 2.00 बजे

निविदा खोलने की तिथि:- 18.12.2024 अपरान्ह 3.00 बजे

क्रमांक: एफ. 2 (1) सा. प्र. / प. फ. सा. वि. वि. / 2024 / 2112 - 2117

दिनांक 4/12/2024

निविदा प्रपत्र - 41

कार्य का नाम:- विश्वविद्यालय के टी.आर. एवं रजिस्टर बाईन्डिंग कार्य की प्रदायगी बाबत।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पता (मय दूरभाष/मो. न.)
.....
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या (प्रति संलग्न करें).....
3. संदर्भ:- निविदा क्रमांक दिनांक
4. निविदा शुल्क की राशि नगद रसीद..... एवं दिनांक.....
द्वारा रेखांकित बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट संख्या के द्वारा जमा करा दी गई है।
5. हम..... द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या..... दिनांक
.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।)
6. संलग्न प्रपत्र में कार्य की दर समस्त कर सहित अंकित है।
7. आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 10 (दस) दिवस की अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
8. ऊपर उद्यत की गई दरें एक वर्ष के लिए विधि मान्य है। सेवा आपूर्ति को 50 प्रतिशत तक की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।
9. बयाना राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या दिनांक राशि.....
..... संलग्न है।
10. निविदा पत्र के साथ जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. पेन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्य का विवरण

1. बाईन्डिंग के कार्य में दो पौण्ड का बोर्ड उपर व नीचे उत्तम अबरी पेपर, पीछे व फोल्डिंग की जगह उत्तम मिल के मजबूत कपड़े का प्रयोग करने का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अन्दर की तरफ 20 X 30 साईज में ओरियन्ट एवं समकक्ष पेपर लगाना होगा। जिल्दसाजी में मजबूत धागे व उत्तम सामग्री का प्रयोग करना होगा।
2. टी.आर बाईन्डिंग का कार्य उपकुल सचिव / सहायक कुलसचिव परीक्षा शाखा यू.जी एवं पी.जी. नामांकन अनुभाग तथा गोपनीय शाखा की देखरेख में उनके निर्देशानुसार कार्यालय समय में ही किया जायेगा।
3. कार्य को पूर्ण गोपनीयता एवं जिम्मेदारी के साथ सम्पन्न करना होगा।

विश्वविद्यालय के टी.आर. एवं रजिस्टर बाईन्डिंग कार्य की प्रदायगी बाबत निम्न शर्तें:-

1. निविदा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही भरकर देनी होगी अन्य किसी फार्म/कागज पर भेजी गई निविदा अस्वीकार्य होगी। अमानत राशि रूपये 4000/- का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक टेण्डर के साथ लगाना होगा। जिसकी दरें अनुमोदित होगी उसकी प्रतिभूति सुरक्षा राशि बतौर अमानत राशि के रूप में समायोजित कर ली जायेगी।
2. निविदा पत्र के साथ जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है।
3. किसी प्रकार की प्रति-शर्त (काउन्टर कंडीशन) मान्य नहीं होगी।
4. धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की काट-छांट नहीं होनी चाहिए। किसी कारण काट-छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर निविदादाता के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. विवाद होने पर केवल अजमेर स्थित न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा।
7. ठेकेदार द्वारा काम में लिये जाने वाले विश्वविद्यालयके सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
8. ठेका एक वर्ष के लिए मान्य होगा जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
9. दरें असामान्य रूप से कम या अधिक होने पर निविदा **Outrightly reject** कर दी जाएगी।
10. धरोहर राशि:-
 - i. निविदा के साथ अमानत राशि के 4000/- रूपये नगद राशि या डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा जमा करवानी होगी। जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।
 - ii. धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकार को करार के समय सामग्री/सेवा मूल्य की पांच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा करानी होगी।
11. निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूमि राशि:-
 - a) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के

- लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार आदेश दिए जा सकते हैं, तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री/सेवा की विश्वविद्यालय में पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।
- b) सफल निविदादाताओं को अपने खर्च पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के सात दिवस में करार निष्पादित कार्यवाही करना होगा।
- c) निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के रू. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।
- d) सविदा के यथावत क्रियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य की 5 प्रतिशत राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा सात दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को क्रय/सेवा आदेश देने का अधिकार होगा।
12. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, राजस्थान लोक उपापम में पारदर्शिता में अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगा।
13. किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने, किसी भी निविदा को बिना कारण बर्तलाए अस्वीकृत करने, एवं निविदत्त मर्दों को एक फर्म/ प्रदायक से अधिक में वितरित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
14. कार्य को पूर्ण गोपनीयता एवं जिम्मेदारी के साथ सम्पन्न करना होगा।

कुलसचिव

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तें पढ़ ली है जिससे मैं/हम स्वीकार करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विश्वविद्यालयके टी.आर.एवं रजिस्टर बाईन्डिंग कार्य की प्रदायगी बाबत

वित्तीय बिड

बोलीदाता/संवेदक का (फर्म) का पूरा नाम.....

1. डाक का पता.....
 2. फोन/मोबाईल नंबर.....
 3. ई-मेल.....
 4. बैंक का खाता संख्या.....
 5. बैंक का नाम.....
- IFSC CODE.....

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	दर प्रति टी.आर. समस्त कर भाड़ा मय सामग्री तथा मजदूरी एवं जी.एस.टी. अतिरिक्त
1.	<p>टी.आर. बाईन्डिंग (साईज 15 x 12)</p> <ol style="list-style-type: none">1. बाईन्डिंग के कार्य में दो पौण्ड का बोर्ड उपर व नीचे उत्तम अबरी पेपर, पीछे व फोल्डिंग की जगह उतम मिल के मजबूत कपड़े का प्रयोग करने का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अन्दर की तरफ 20 x 30 साईज में ओरियन्ट एवं समकक्ष पेपर लगाना होगा। जिल्दसाजी में मजबूत धागे व उतम सामग्री का प्रयोग करना होगा।2. टी.आर बाईन्डिंग का कार्य उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव परीक्षा शाखा यू.जी एवं पी.जी.नामाकंन अनुभाग तथा गोपनीय शाखा की देखरेख में उनके निर्देशानुसार कार्यालय समय में ही किया जायेगा।3. कार्य को पूर्ण गोपनीयता एवं जिम्मेदारी के साथ सम्पन्न करना होगा।4. कार्य समाप्ति के पश्चात् बिल सम्बन्धित अनुभाग से सत्यापित कराकर तीन प्रतियों में भुगतान हेतु सामान्य प्रशासन के भण्डार में प्रस्तुत करना होगा।	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति:-

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आंशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम/भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा, हित का विरोध होगा।

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि:-

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।
- (ख) वे उनमें से किसी से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्ही व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाईन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांकदिनांकके तहत मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम 2012 के खंड 7 के अंतर्गत यह घोषणा करते हैं कि

1. मैं/हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय संसाधन की क्षमता रखते हैं।
2. मैं/हम निविदा अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार/ अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत दायित्व लेते हैं।
3. मैं/हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरुद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/ अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्ष में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नहीं किया गया है।
5. मैं/हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हों।

स्थान:-.....

तारीख:-.....

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपील अधिकारी का पद एवं पता कुलसचिव म.द.स. विश्वविद्यालय, कायड़ रोड़, पुष्कर बाईपास, अजमेर।

द्वितीय अपील अधिकारी का पद एवं पता कुलपति, म.द.स. विश्वविद्यालय, कायड़ रोड़, पुष्कर बाईपास, अजमेर।

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाही में भाग लिया है। परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा - 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी है, अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारीख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वघ कोई अपील नहीं होगा।
अर्थात:
क. उपापन की आवश्यकता का अवधारण
ख. बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
ग. यह विनिश्चय की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
घ. निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण
ड. गोपनीयता के उपबंधो का लागू होना।
4. अपील का प्ररूप:- (1) धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।

- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
5. अपील फाईल करने के लिए फीस:-
- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
6. अपील के निपटारे की प्रक्रिया:-
- (1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी:-
- (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और: (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रारूप सं. 1
(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

-की अपील सं.....(प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी).....के समक्ष
1. अपीलार्थी की विशिष्टियां:
 - i. अपीलार्थी का नाम:
 - ii. कार्यालय का पता, यदि कोई हो:
 - iii. आवासिक पता:
 2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता:
 - i.
 - ii.
 - iii.
 3. आदेश का संख्याक और तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गयी है और अधिकारी/प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है,, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के अल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य का लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है:-
 4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :-
 5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या:
 6. अपील का आधार:-

.....(शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना :-

स्थान:-

तारीख:-

अपीलार्थी के हस्ताक्षर